

**सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागीय अपीलीय अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मानित किये जाने हेतु आवेदन का प्रारूप**

1.	कार्मिक का नाम	
2.	पदनाम	
3.	विभाग का नाम	
4.	कार्यालय का नाम व पूर्ण पता जहाँ कार्यरत है	
5.	मोबाइल नम्बर	
6.	ईमेल आईडी	
7.	सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधान का अनुपालन किस रूप में किया गया है (विभागीय अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी)	
8.	विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में किये गये कार्यों का विवरण	
a.	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कुल प्राप्त प्रथम अपील	
b.	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कुल निस्तारित प्रथम अपील	
c.	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कुल निस्तारित प्रथम अपील के विरुद्ध आयोग में प्राप्त कुल शिकायत/द्वितीय अपील की संख्या	
d.	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में विभागीय अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध की गयी टिप्पणी/संस्तुति की संख्या	
e.	विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में किये गये विशेष कार्य का विवरण (अधिकतम 200 शब्दों में) -	

8.	लोक सूचना अधिकारी के रूप में किये गये कार्यों का विवरण -	
a.	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कुल प्राप्त अनुरोध पत्रों की संख्या	
b.	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कुल प्राप्त अनुरोध पत्रों के सापेक्ष निस्तारित अनुरोध पत्रों की संख्या	
c.	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कुल प्राप्त अनुरोध पत्रों के सापेक्ष हुई प्रथम अपीलों की संख्या	
d.	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कुल प्राप्त अनुरोध पत्रों के सापेक्ष हुई द्वितीय अपीलों/शिकायतों की संख्या	
e.	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध मा0 आयोग के द्वारा आरोपित शास्ति की संख्या व धनराशि	
f.	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध मा0 आयोग के द्वारा की गयी टिप्पणी/अनुशासनात्मक संस्तुति की संख्या	
g.	लोक सूचना अधिकारी के रूप में किये गये विशेष कार्यों का विवरण (अधिकतम 200 शब्दों में) -	

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिया गया उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य पूर्णतः सत्य है। आवेदन पत्र में दिया गया विवरण असत्य पाये जाने पर, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अधोहस्ताक्षरी का होगा।

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....  
अधिकारी का नाम .....  
पदनाम .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 ..... के द्वारा विभागीय अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी के रूप में किये गये कार्यों का जो विवरण आवेदन पत्र में वर्णित किया गया है, वह सत्य है। मैं उपरोक्त तथ्यों को प्रमाणित करता हूँ।

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....  
नियंत्रक अधिकारी का नाम .....  
पदनाम .....

नोट :- आवेदन पत्र अपने से कम से कम एक उच्च स्तर के विभागीय अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से सत्यापित करने के उपरान्त सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के पते पर पंजीकृत डाक के द्वारा अथवा आयोग के ईमेल [secy-uic@gov.in](mailto:secy-uic@gov.in) के माध्यम से प्रेषित किया जाना है। आयोग कार्यालय को दिनांक 15.09.2024 तक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाएगा।

**सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले  
विभागीय अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी  
के चयन की प्रक्रिया**

1. सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के मध्य प्राप्त अनुरोध पत्रों/प्रथम अपील के निस्तारण में विभागीय अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी के द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिए पाँच लोक सूचना अधिकारियों और तीन विभागीय अपीलीय अधिकारियों को उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
2. इस हेतु दिनांक 15.09.2024 तक सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग के नाम से पंजीकृत डाक/दस्ती अथवा आयोग के ईमेल [secy-uic@gov.in](mailto:secy-uic@gov.in) से प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा। दिनांक 15.09.2024 के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
3. आवेदन पत्र अपने से कम से कम एक उच्च स्तर के विभागीय अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से सत्यापित करने के उपरान्त आयोग को प्रेषित किया जाना है।
4. प्राप्त आवेदन पत्रों का सर्वप्रथम सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा स्कूटनी की जाएगी। स्कूटनी के उपरान्त समिति के द्वारा संस्तुति किये गये 15 लोक सूचना अधिकारी और 9 विभागीय अपीलीय अधिकारी के नाम में से पाँच लोक सूचना अधिकारियों और तीन विभागीय अपीलीय अधिकारियों के नाम मा0 आयोग के द्वारा चयन किये जाएंगे।
5. लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी के नाम की संस्तुति और अंतिम चयन का निर्धारण संबंधित अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या/प्रथम अपील की संख्या, उनके निस्तारण के विरुद्ध दर्ज प्रथम अपील/द्वितीय अपील./शिकायत के अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा अधिनियम के तहत किये गये विशेष कार्यों के आधार पर किया जाएगा।
6. चयनित अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा जोकि दिनांक 08.10.2024 से दिनांक 15.10.2024 के मध्य देहरादून में आयोजित किया जाएगा।
7. इस हेतु की जाने वाली यात्रा पर होने वाले व्यय का भुगतान (टी0ए0/डी0ए0) नियमानुसार अपने विभाग से लिया जाएगा।



## उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

दूरभाष न०- 0135-2662021, फ़ैक्स न०- 0135-2662180

ईमेल : [secy-uic@gov.in](mailto:secy-uic@gov.in) वैब: <http://uic.uk.gov.in>

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की 19वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सम्मानित किया जाना है। इस हेतु इच्छुक उत्तराखण्ड राज्य के लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पर सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के पते पर पंजीकृत डाक/दस्ती अथवा आयोग की ई-मेल आईडी [secy-uic@gov.in](mailto:secy-uic@gov.in) के माध्यम से प्रेषित किये जा सकते हैं। दिनांक 15.09.2024 तक आयोग कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाएगा। आवेदन का प्रारूप और चयन की प्रक्रिया उत्तराखण्ड सूचना आयोग की वेबसाइट <http://uic.uk.gov.in> पर देखी जा सकती है।

अरविन्द कुमार झाण्डेय, सचिव



## उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

दूरभाष न०- 0135-2675780, फ़ैक्स न०- 0135-2675779

ईमेल : [secy-uic@gov.in](mailto:secy-uic@gov.in) वैब: <http://uic.uk.gov.in>

पत्रांक 4274 /स्था0/उ0सू0अ0/2024-25

दिनांक 01.08, 2024

सेवा में,

1. समस्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख कार्यालय उत्तराखण्ड।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की 19वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी को सम्मानित किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक कृपया अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की 19वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सम्मानित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु इच्छुक लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपना आवेदन पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 15.09.2024 तक सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के पते पर पंजीकृत डाक के द्वारा अथवा आयोग के ईमेल [secy-uic@gov.in](mailto:secy-uic@gov.in) के माध्यम से प्रेषित किया जाना है। आवेदन पत्र का प्रारूप व चयन की प्रक्रिया आयोग की वेबसाइट <http://uic.uk.gov.in> पर देखी जा सकती है।

उपरोक्त संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को आपसे यह अनुरोध करने के निदेश हुए हैं कि कृपया विभाग में कार्यरत समस्त लोक सूचना अधिकारी, विभागीय अपीलीय अधिकारी को उपरोक्त संदर्भ में अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( अरविन्द कुमार पाण्डेय )  
सचिव

पत्रांक /स्था0/उ0सू0अ0/2024-25

दिनांक , 2024

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

1. निजी सचिव, मा० प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त को मा० प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।

( अरविन्द कुमार पाण्डेय )  
सचिव